



कार्यालय नगर निगम, देहरादून।



(क्र०- 0135-2714074: फैक्स-0135-2651060: ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com)

नगर निगम, देहरादून— प्रस्तावित उपविधि

नगर निगम अधिनियम की धारा 541(1)(42) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम, देहरादून द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर निगम के अधिवेशन दिनांक
.....में प्रस्ताव सं0.....के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ती एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अध्याय—1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
(1) ये उप-नियम नगर निगम, देहरादून ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप-नियम, 2019 कहलाएंगे।
(2) ये उप-नियम नगर निगम, देहरादून के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 24 जुलाई 2010 द्वारा प्राप्त्यापित उपविधि नगर निगम, देहरादून ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप-नियम, 2019 लागू होने की तिथी से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. ये उप-नियम नगर निगम, देहरादून की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

- (क) “बल्क उघान और बागवान कचरा” का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं।
- (ख) “बल्क कचरा उत्सर्जन” का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
- (ग) “संग्रह” का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;
- (घ) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ हैं नगर निगम का महापौर, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।
- (ङ) “निर्माण एवं विध्वंस कचरा” का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।
- (च) “स्वच्छ क्षेत्र” का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना है।
- (छ) “सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)” का अर्थ है, नगर निगम द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
- (ज) “कंटेनराइज्ड हैड कार्ट” का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/ऐजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

- (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर निगम या नगर निगम द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
- (ज) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;
- (ट) "फिकर्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;
- (ठ) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो।
- (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;
- (ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।
- (प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता है।

- (फ) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (ब) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (भ) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (म) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर निगम के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालिंयों को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
- (र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर निगम द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;
- (ल) "खाली प्लाट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थाल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का ख्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का ख्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जायेगा:—

- (क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
- (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर निगम के निर्देशों के अनुसार पथकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्जर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नांकित 3 वर्गों में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या खुशक कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्करण कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एंजेसी को करेगा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा:-

हरा:- जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:- गैर-जैव अपघटीय या खुशक कचरे के लिए;

काला:- घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर निगम के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा ऊत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाएं। जैव अपघटीय कचरों की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एंजेसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर निगम की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का ऊत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एंजेसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर निगम के भागीदारी सें, कचरे का खोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर निगम द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को खोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर निगम द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबंधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर-जैव अपघटीय या खुशक कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाघ सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेगा और उसे नगर निगम द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर निगम के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर निगम या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप) बायो मेडिकल कचरा, ई—कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोलट्री, मछली और पशुवध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमरा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय—3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:—

(प) नगर निगम के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर निगम संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(पपप) कचरे को स्व-स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(पअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्ग के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं डुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर निगम द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो-टिप्स/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप-खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर-जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिंग उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा डुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर निगम द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र में होंगी, जो नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होंगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय,

अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर निगम अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन / साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्हीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

(गअ) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

अध्याय—4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे:—

- (क) गैर—जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
- (ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
- (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:—

- हरा: जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीला: गैर—जैव अपघटीय कचरे के लिए
- काला: घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर निगम समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर निगम स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर निगम या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप—नियमों में वर्णित अनुसार अलग रंगों के होंगे।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूड़ेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(पग) नगर निगम या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(ग) सूखे कचरे (गैर-जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर निगम अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रों को स्थानातिरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या नगर निगम से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बैच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बैच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(घ) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर निगम अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय—5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:—

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते हैं, जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो-मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

(पअ) जहां कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुंचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(अपप) नगर निगम कचरे की समुचित ढंग से छुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(अपपप) छुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा / स्थानांतरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगे, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की छुलाई के दौरान विभिन्न खोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(गअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और छुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्षा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।

(गअग) नगर निगम अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय—6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :—

(प) नगर निगम ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख—रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा—निर्देशों और केंद्रीय प्रटूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा:—

(क) डुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो—मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव—स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो—मिथेनेशन प्लांटों के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर निगम रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा—निर्देश:—

(प) नगर निगम सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर निगम कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय—7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर निगम अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय—8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना / दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, डुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः—

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, डुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची—1 में निर्दिष्ट हैं।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम अथवा मेयर / नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर निगम इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग / संग्रह / वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर निगम ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।

(ङ) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजे 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भौती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला / दंड :-

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरिक्षक, कर निरिक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना / दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।

(ङ) निर्दिष्ट / प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय—9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः—

(प) कूड़ा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने / साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नहीं फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीधेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।

(पप) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्ध होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सड़क किनारा सामिल हैं, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से नगर निगम द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वस्च्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वस्च्छता बहाल कर

दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर निगम के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम निम्नांकित ढंग से निपटेगा :—

(क) नगर निगम किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :—

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिकों को, जो गैर-जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के

साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विषयन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेगी।

14. नगर निगम के दायित्व :

(प) नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी-निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(पप) नगर निगम अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर निगम विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, दुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुवित्संगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी

जाएगी। नगर निगम जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर निगम अद्यतन सड़क/गली विलनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर निगम कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर ही उपचार करें। नगर निगम विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

(पग) नगर निगम स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।

(ग) नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

(गप) नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर निगम कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, डुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

(गअ) नगर निगम अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुंच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर निगम एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय—10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे महापौर, नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर निगम अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या

नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

| 1 | 2 | 3 |
|--------|---|--|
| क्र सं | अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार | प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्ज रुपये में) |
| 1. | गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक) | कच्ची झोपड़ी रु 10.00, पक्का मकान रु 20.00 |
| 2. | कम आय वाले घर(बी.पी.एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले घर) | रु 40.00 |
| 3. | मध्यम आय वाले घर (रु 5000.00 से अधिक रु 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर) | रु 60.00 |
| 4. | उपरोक्त के अतिरिक्त घर | रु 100.00 |
| 5. | सब्जि एवं फल विक्रेता | ठेली पर फेरी में रु 6.00 प्रतिदिन, दुकान एवं फड़ पर रु 100.00 प्रतिदिन |
| 6. | मांस एवं मछली विक्रेता | न्यूनतम 200.00 रु 10 कि0ग्रा0 तक, उससे अधिक पर रु 01.00 प्रति कि0ग्रा0 प्रतिदिन अतिरिक्त |
| 7. | रेस्टोरेन्ट | छोटे रु 300.00, मध्यम रु 800.00 तथा बड़े रु 2000.00 |
| 8. | होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाऊस | 20 बेड तक रु 300.00, 21 बेड से 40 बेड तक रु 500.00 एवं 41 से अधिक बेड तक रु800.00 |
| 9. | धर्मशाला | रु 1.50 प्रति कमरा प्रतिमाह |
| 10. | बरातघर(चेरिटेबिल) बरातघर(नान-चेरिटेबिल) | रु 200.00 प्रति उत्सव रु 1000.00 प्रति उत्सव |
| 11. | बेकरी | रु 150.00 |
| 12. | कार्यालय | 50 कर्मचारियों तक रु 200.00, 51 से 100 कर्मचारियों तक रु 400.00, 101 से 300 |

| | | |
|-----|--|--|
| | | कर्मचारियों तक रु 500.00 तथा उससे अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से रु1000.00 |
| 13. | स्कूल / शिक्षण संस्थाएं(आवासीय) | 100 बेड तक के लिए रु 2000.00, उससे अधिक रु 10.00 प्रति बेड अतिरिक्त |
| 14. | स्कूल / शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय) | 500 विद्यार्थियों तक रु1000.00, उससे अधिक रु15000.00 |
| 15. | हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर) | 20 बेड तक रु 500, 21 बेड से 40 बेड तक रु1000.00 एवं 41 से 100 बेड तक रु 2000.00, उससे अधिक रु 25000.00 |
| 16. | क्लीनिक / पैथोलोजी | क्लीनिक रु100.00, पैथोलोजी रु 500.00 |
| 17. | दुकान / चाय की दुकान | मौहल्ले की छोटी दुकान रु 50.00, बाजार की दुकान रु 75.00, शोरुम रु 200.00, छोटे मॉल रु 1000.00, बहुमंजिला मॉल रु 2000.00, अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क |
| 18. | फैक्ट्री | छोटी रु 600.00, मध्यम रु 1000.00, बड़ी रु 1000.00 |
| 19. | वर्कशॉप | छोटी रु 400.00, बड़ी रु 1000.00 |
| 20. | कबाडी | छोटी रु 200.00, बड़ी रु 500.00 |
| 21. | जूस / गन्ने का रस विक्रेता | रु 10.00 प्रतिदिन |
| 22. | सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो | रु 600.00 होटलों में, विवाह रु 2000.00 प्रति उत्साह |
| 23. | ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट | 0.50घन मी0 तक रु 200.00, 1.0घन मी0 तक रु 400.00, 3.0घन मी0 तक रु 1000.00, 6.0घन मी0 तक रु 2000.00, इससे अधिक प्रतिघन मी0 रु 200.00 अधिक |
| 24. | सिनेमा हॉल | रु 600.00 प्रतिमाह |
| 25. | उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार) | रु 200.00 से रु 2000.00 तक |

इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान / प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची-2

जुर्माना / दंड

| क्र सं | नियम/उप नियम संख्या | अपराध | निम्नांकित पर लागू | प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में) |
|--------|------------------------------------|---|--|---|
| 1. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क) | कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना | आवासीय बल्क जनरेटर | 200 500 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल | 10,000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान | 5000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान | 500 |
| | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) | सड़क / गली में कूड़ा फैकना, थूकना 1. | उल्घनकर्ता | 200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत |

| | | | | |
|----|---|--|---|--------------|
| | | 2. नहाना, पैशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपड़े धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना | | होगी। 500 |
| 2. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ) | नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 200 |
| | | | गैर-आवासीय / बल्क जनरेटर | 500 |
| 3. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग) | नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 1000 |
| | | | गैर-आवासीय / बल्क जनरेटर | 5000 |
| 4. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट), | ठोस कचरे को खुले में जलाना | उल्लंघनकर्ता | 5000 |
| 5. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4) | निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना | ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो | 10,000 |
| 6. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5) | नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूड़े को पृथकरण न करने, अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने | उल्लंघनकर्ता | 200 |

| | | पर | | |
|----|--|---|--------|-----|
| 7. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ) | सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते / अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता | अपराधी | 500 |

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|----------|
| 8. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए | 10,000 |
| | | | बजार एसोसिएशन, संघ | 20,000 |
| 9. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | द्वारबंद समुदाय | 10,000 |
| | | | संस्थान | 20,000 |
| 10. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | होटल | 50,000 |
| | | | रेस्टोरेंट | 20,000 |
| 11. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2) | उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन | विनिर्माता और / या ब्रॉड ऑनर / स्वामी | 1,00,000 |
| 12. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3) | नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता | विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां | 50,000 |
| 13 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ) | नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि | 50,000 |
| 14 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग) | गलियों, पहाड़ियों, सार्वजनिक स्थलों में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिंक, | उल्लंघनकर्ता / पर्यटक / वाहन / चालक | 1000 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|------|
| | | कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर | | |
| 15 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ) | नगर निगम की उप विधि को होटल / अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता / होटल / अतिथिग्रह स्वामी | 1000 |
| 16 | | सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रदर्शनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिजिक, धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता) | आयोजनकर्ता | 5000 |

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून